[2021] 7 S.C.R. 819

भारत संघ

द्वाराः– नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, लखनऊ (अपीलार्थी)

विरूद्ध

मोहम्मद नवाज़ खान (उत्तरवादी)

(आपराधिक अपील संख्या 1043 वर्ष 2021)

{निर्णीत दिनांक 22–09–2021}

{डा० धनंजय वाई चंद्रचूड़, बी०वी० नागरत्ना, न्यायमूर्तिगण}

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ के एकल न्यायाधीश के द्वारा जमानत याचिका क्रमांक 7379/2020 में पारित आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से उद्भुत आपराधिक अपील प्रकरण)

अपीलकर्ता के अधिवक्ताः- एसवी राजू, ए.एस.जी., सैरिका राजू, अन्नम वेंकटेश, सुनीता शर्मा, बीवी बलराम दास एवं अंशुमान सिंह, अधिवक्तागण

उत्तरवादी के अधिवक्ताः- राकेश दहिया, अधिवक्ता

परिणामः - अपील स्वीकार ।

न्यायालय का निर्णय द्वारा :

डॉ० धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिः

1. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ के एकल न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से उद्भुत हुआ है। उक्त निर्णय के माध्यम से हाईकोर्ट ने, पुलिस स्टेशन, एनसीबी, लखनऊ में दर्ज प्रकरण एनसीबी केस अपराध संख्या 14/2019 अंतर्गत धारा 8, 21, 27 ए, 29 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985[1] में जमानत का आवेदन मंजूर किया है।

2. प्रकरण में एनसीबी के लखनऊ जोनल यूनिट के द्वारा दिनांक 16/09/2019 को परिवाद पेश किया गया है, जिसके अनुसार एनसीबी के जोनल यूनिट को 1400 बजे यह सूचना मिली कि, मणिपुर निवासी, तीन व्यक्ति, मोहम्मद आरिफ खान, रफीउद्दीन और मोहम्मद नवाज खान (उत्तरवादी) एक मारुति रिट्ज वाहन क्रमांक यूके 06 एए 25823 में हेरोइन/मॉर्फिन के साथ नागालैंड के दीमापुर से उत्तर प्रदेश के रामपुर की ओर आ रहे है, तथा यह वाहन बनारसी दास कॉलेज, लखनऊ से होकर गुजरेगा। इस सूचना को लिखित रूप में दर्ज किया गया और जोनल निदेशक, एनसीबी लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद एनसीबी अधिकारियो की टीम बनाई गई और इस टीम को उत्तर प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स [3], के साथ मिलकर कार्य करने का निर्देश दिया गया। बाबू बनारसी दास कॉलेज के आसपास के क्षेत्र में निगरानी की गई और लगभग 1600 बजे, उस कार को रोक गया जिसमें उत्तरवादी अन्य दो सह–अभियुक्तों के साथ यात्रा कर रहा था। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के अनुसार एक राजपत्रित अधिकारी की

उपस्थिति में उनकी तलाशी ली गई, लेकिन व्यक्तिगत तलाशी के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ। हालांकि, कार की तलाशी लेने पर, कार के सामने बोनट पर वाइपर जोड़ने वाली जगह के नीचे छिपाए गए दो पॉलिथीन पैकेट मिले। पहले पैकेट का वजन 1.740 किलोग्राम था, जबकि दूसरे पैकेट का वजन 1.750 किलोग्राम था। उक्त पेकेट से नमूने लिए गए और ड्रग डिटेक्शन किट से परीक्षण करने पर नमूनों में हेरोइन होने की पुष्टि हुई।

3. चूंकि कार में बैठे लोग हिंदी या अंग्रेजी से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे, इसलिये अनुवाद करने के लिये सशस्त्र सीमा बल [4] से संबंधित एक अधिकारी को मौके पर बुलाया गया क्योंकि वह मणिपुर से थे और मणिपुरी भाषा अच्छी तरह जानते थे। तीनों आरोपियों के कथन अंग्रेजी में दर्ज किए गए और एसएसबी के अधिकारी द्वारा उनका मणिपुरी में अनुवाद किया गया, इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालाँकि, उत्तरवादी मो. नवाज खान के बयान को प्रमाणित करते समय, एसएसबी के अधिकारी के द्वारा उत्तरवादी के नाम के स्थान पर मोहम्मद आरिफ खान का नाम उल्लेखित कर दिया ।

4. मौके पर तैयार नमूना पैकेट को P1S1 और P2S1 के रूप में चिह्नित किया गया और दिनांक 27 मार्च 2019 को उक्त नमूना पेकेट को जांच हेतु मुख्य परीक्षक, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली [5] भेजा गया । सीआरसीएल के द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2019 को एक रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें कहा गया था कि नमूनों का परीक्षण डायएसिटाइलमॉर्फिन यानी हेरोइन के लिए धनात्मक नहीं पाया गया, जबकि, मॉर्फिन के परीक्षण के लिए इसका धनात्मक पाया गया।

5. एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, लखनऊ, और रिलायंस JIO इंफो कम्युनिकेशन लिमिटेड लखनऊ को दिनांक 10 जुलाई 2019 पत्र प्रेषित कर कुछ मोबाइल नंबरों से संबंधित कॉल डिटेल रिकॉर्ड [6] और ग्राहक आवेदन फॉर्म [7] की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई । उक्त मोबाइल नंबरों के सीडीआर के विश्लेषण से यह संकेत मिला कि उत्तरवादी नियमित रूप से सह–अभियुक्तों और दीमापुर निवासी एक अन्य अनीश उर्फ अब्बास, जिस पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का भी संदेह है, के साथ लगातार संपर्क में था ।

6. उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को सप्तम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, लखनऊ ने दिनांक 27 जून 2019 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि, 3.300 किलोग्राम वजन की भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई थी और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जमानत देने का कोई मामला स्थापित नहीं हुआ। इसके बाद उत्तरवादी ने उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 1 अक्टूबर 2020 के आक्षेपित आदेश द्वारा उत्तरवादी का जमानत आवेदन स्वीकार कर लिया गया ।

7. उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरवादी की ओर से यह तर्क किया गया कि, वह रफीउद्दीन के द्वारा चलाये जा रहे वाहन मे सहसवार था, तथा प्रतिबंधित सामग्री पर उसका भानपूर्ण आधिपत्य नहीं था, क्योकिं प्रतिबंधित सामग्री को गाड़ी के सामने बोनट पर लगे वाइपर से बरामद किया गया था, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, यह भी तर्क किया गया है कि, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 और 50 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है । उत्तरवादी के अनुसार, धारा 67 के तहत दर्ज कथन उसे विधिवत समझाया नहीं गया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि, अनुवाद को मणिपुरी में समझाने वाले एसएसबी के अधिकारी ने हस्ताक्षर कर यह प्रमाणित किया था कि मोहम्मद आरिफ खान (सह–

आरोपी) को समझाया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उत्तरवादी का नाम मोहम्मद नवाज खान है। उच्च न्यायालय ने जमानत का आवेदन स्वीकार किया और यह पाया कि:

> "उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए तथा जप्ती पत्रक, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए आवेदक के कथित बयान और श्री एलएच कपिन के प्रमाणीकरण से यह निर्विवाद रूप से स्थापित है कि कथित प्रतिबंधित पदार्थ, वाहन के सामने बोनट पर लगे वाइपर से बरामद किया गया था। उक्त वाहन रफीउद्दीन चला रहा था तथा प्रार्थी, सह अभियुक्त आरिफ खान के साथ उक्त वाहन में बैठा था, आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए खोज ज्ञापन (सर्च मेमो) में, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि, चूंकि व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी भाषा से अच्छी तरह से परिचित नहीं थे, इसलिए एसएसबी चतुर्थ बटालियन, लखनऊ के श्री एल.एच. कपिन को आरोपियो को विषयवस्तु को समझाने के लिए मौके पर पहुंचने का अनुरोध किया गया था। प्रतिशपथ पत्र के अनुलग्नक क्रमांक 3 के अवलोकन से पता चलता है कि कथन पर आवेदक का नाम अंकित है, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि इस कथन को प्रमाणित करते समय श्री एल.एच. कपिन ने अपने प्रमाणीकरण में यह उल्लेख किया है कि "मो. आरिफ खान द्वारा कहे गए कथन का अनुवाद किया गया और कथन की रिकॉर्डिंग के बाद कथन को पढ़ा गया और मणिपुरी भाषा में समझाया गया।" जिससे स्पष्ट है कि कथन मोहम्मद आरिफ खान को समझाया गया था और आवेदक को नहीं । यह कथन अंतिम प्रतिवेदन के साथ् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है । इसलिये इस समय उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता के इस मौखिक तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि त्रुटिवश मोहम्मद नवाज (आवेदक) के स्थान पर मोहम्मद आरिफ खान का नाम दर्ज हो गया यह भी निर्विवाद है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।"

8. श्री एसवी राजू, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, [8] ने अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित होकर यह तर्क किया है कि, न्यायदृष्टांत **तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, (2021) 4 एससीसी 1** में यह अवधारित किया गया है कि, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दिया गया इकबालिया बयान, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा, वह उत्तरवादी के बयान पर भरोसा नहीं करना चाहता है। साथ ही, यह भी तर्क किया गया है कि उच्च न्यायालय ने जमानत आवेदन स्वीकार करते समय निम्न तीन महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान ही नहीं दिया है:

(i) वाहन से 3.300 किलोग्राम वजनी मॉर्फीन की एक बड़ी मात्रा बरामद की गई है;

(ii) उत्तरवादी स्वीकृत रूप से नागालैंड के दीमापुर से, उत्तर प्रदेश के रामपुर तक वाहन में यात्रा कर रहा था; और

(iii) आरोपी द्वारा उपयोग किए गए, सेल फोन के कॉल डेटा रिकॉर्ड, अपराध को सारणीबद्ध करता है। आरोपीगण को एक–दूसरे के संपर्क में होना पाया गया जिसके संबंध में फ़्लो चार्ट भी निर्धारित किया गया है।

9. इसके अलावा, यह भी तर्क किया गया है कि:

(i) इस न्यायालय के न्यायदृष्टांतो में यह अवधार्य किया गया है कि, जब सार्वजनिक स्थान पर एक निजी वाहन की तलाशी ली जाती है तब एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है ;

(ii) प्रकरण के तथ्य यह संकेत देता है कि, इस प्रकरण में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था;

(iii) इस न्यायालय के कई न्यायदृष्टांतो में यह अवधार्य किया गया है कि, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाने को विचारण के माध्यम से ही प्रमाणित किया जा सकता है; और

(iv) एनडीपीएस अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत अभियुक्त के सचेत कब्जे में पाया गया मादक पदार्थ कब्जे के संबंध में एक उपधारणा का प्रादुर्भाव करता है।

विद्वान एएसजी ने उपरोक्त आधारों पर और विशेष रूप से, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(ii) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण को जमानत स्वीकार किये जाने का उचित मामला नहीं होने का तर्क किया है।

10. उपरोक्त परिस्थितियों के अलावा, यह भी तर्क किया गया है कि उत्तरवादी, जमानत पर रिहा होने के बाद, लखनऊ में सत्र न्यायाधीश के सामने पेश होने से लगातार बचता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रकरण में आरोप भी विरचित नहीं किए जा सके और अंततः उत्तरवादी के विरूद्ध गैर–जमानती वारंट जारी किया गया है।

11. इसके विपरित, उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश दहिया के द्वारा यह तर्क किया गया है कि, वर्तमान मामले में प्रतिबंधित पदार्थ उस वाहन में छिपा कर रखा हुआ पाया गया था जिसमें उत्तरवादी यात्रा कर रहा था। जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिबंधित सामग्री, उत्तरवादी के भानपूर्ण आधिपत्य में था। विद्वान अधिविक्ता ने यह भी तर्क किया है कि, उत्तरवादी ना ही वाहन का चालक है और ना ही वाहन का स्वामी है और इस पृष्ठभूमि में, उसे जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय के आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

12. वर्तमान चरण में, यह ध्यान देने योग्य बात है कि:

(i) जिस वाहन को लखनऊ में रोका गया वह दीमापुर (नागालैंड) से रामपुर (उत्तर प्रदेश) की ओर जा रहा था;

(ii) वाहन में 3.300 किलोग्राम के व्यवसायिक मात्रा का मादक पदार्थ वाहन में छिपा कर रखा जाना पाया गया था ;

(iii) अभियोजन पक्ष के अनुसार, उत्तरवादी वाहन में कोई अज्ञात यात्री नहीं है, बल्कि वह सह–अभियुक्तों के साथ निकटता से संपर्क में था।

13. उच्च न्यायालय के जमानत देने वाले आदेश का आकलन करते समय के मार्गदर्शी सिद्धांत **प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी, (2010) 14 एससीसी 496** में निर्धारित किए गए हैं । **प्रशांत कुमार (सुप्रा),** वाले प्रकरण में भारतीय दंड संहिता 1860 [9] की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने वाले

आरोपी के द्वारा प्रस्तुत कई जमानत याचिकाएं विचारण न्यायालय के द्वारा निरस्त की गई थी । इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने जमानत का आवेदन स्वीकार कर लिया था । दो जजों की बेंच की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति डीके जैन ने कहा :

> "9. ... यह न्यायालय, सामान्यतः, अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालाँकि, यह उच्च न्यायालय पर भी समान रूप से निर्भर है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों के अनुपालन में विवेकपूर्ण, सावधानी और सख्ती से अपने विवेक का प्रयोग करे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि, अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:
>
> (i) क्या यह विश्वास करने का कोई प्रथम दृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है;
>
> (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;
>
> (iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;
>
> (iv) जमानत पर रिहा होने पर आरोपी के फरार होने या भाग जाने का खतरा;
>
> (v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और स्थिति;
>
> (vi) अपराध दोहराए जाने की संभावना;
>
> (vii) गवाहों को प्रभावित किये जाने की आशंका; और
>
> (viii) निस्संदेह, जमानत दिए जाने से न्याय बाधित होने का खतरा।"

14. **प्रशांत कुमार (सुप्रा)** के निर्णय को अन्य निर्णय **महिपाल बनाम राजेश कुमार @ पोला और अन्य, (2020) 2 एससीसी 118** में संदर्भित किया गया था, जहां उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने वाले एक आरोपी का जमानत स्वीकार किया था। हममें से एक (न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़) ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए जमानत रद्द करने की याचिका पर फैसला देने के लिए मानक तय किए है:

> "14. किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। यही कारण है कि यह न्यायालय आमतौर पर जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है। हालाँकि, जहां जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के विवेक का प्रयोग, उचित विवेक के बिना या इस न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है, जमानत देने वाला ऐसा आदेश रद्द किया जा सकता है। न्यायालय को अन्य बातों के अलावा, यह विचार करने की आवश्यकता है कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त ने अपराध किया है, अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा अभियुक्त द्वारा किसी भी तरीके से मुकदमे की कार्यवाही में बाधा डालने या कार्यवाही से बचने की संभावना। जमानत पर रिहा किए जाने का प्रावधान न्याय प्रशासन में सार्वजनिक हित और मामले का फैसला आने तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच एक उचित संतुलन बनाता है। हालाँकि, जमानत का अनुदान कानून की सीमा के भीतर और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन

में किया जाना है। यही कारण है कि न्यायालय को कई कारकों को संतुलित करना चाहिए जो मामले–दर–मामले के आधार पर जमानत देने की विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग को निर्देशित करते हैं। इस निर्धारण में अंतर्निहित यह है कि क्या अभिलेख पर, ऐसा प्रतीत होता है या, यह मानने का प्रथम दृष्टया या उचित कारण है कि अभियुक्त ने अपराध किया था। इस स्तर पर यह प्रासंगिक नहीं है कि न्यायालय किसी निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की विस्तार से जांच करे।

[...]

16. जहां जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाला न्यायालय प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहती है, तो अपीलीय न्यायालय जमानत देने के आदेश को उचित रूप से रद्द कर सकती है। **इस प्रकार एक अपीलीय न्यायालय को इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या जमानत देने का आदेश बिना सोचे–समझे लिया गया है या अभिलेख पर मौजूद सबूतों के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से सामने नहीं आया है।** इस प्रकार इस न्यायालय के लिए यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या, अभिलेखगत साक्ष्य के आधार पर, यह विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया या उचित आधार मौजूद था कि अभियुक्त ने अपराध किया था, साथ ही अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता तथा सजा को भी ध्यान में रखा जाए।"

(जोर दिया गया)

15. **महिपाल** (सुप्रा) में प्रतिपादित दोहरे परीक्षण के सिद्धांत को बाद में इस न्यायालय के द्वारा **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 11 एससीसी 648** में भी स्वीकृत किया गया।

16. एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जमानत देने के संबंध में, भारत संघ बनाम शिव शंकर केसरी, (2007) 7 एससीसी 798 में इस न्यायालय ने कहा है कि, यदि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के मापदंडों का पालन किए बिना जमानत दी गई है तो जमानत रद्द की जा सकती है। इसके अलावा, भारत संघ बनाम प्रतीक शुक्ला, (2021) 5 एससीसी 430 में, हम में से एक (न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़) ने दो–न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए,कहा है कि, उच्च न्यायालय द्वारा एनडीपीएस अधिनियम के अपराध के संबंध में जमानत हेतु प्रस्तुत तर्कों एवं अपराध की गंभीरता पर न्यायिक मष्तिष्क का प्रयोग किये बिना जमानत का लाभ दिया गया है तो यह जमानत रद्द करने का आधार हैं।

17. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत अपराध से जुड़े मामलों में जमानत देने को नियंत्रित करती है। धारा 37 इस प्रकार है:

"(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, –

(ए) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(बी) [2][धारा 19 या धारा 24 या धारा 27–A के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दण्डनीय किसी अपराध] के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब––

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और

(ii) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।

(2) उप–धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के संबंध में ये परिसीमाएँ दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त हैं।]

(जोर दिया गया)

18. धारा 37(1)(बी)(ii) के तहत, धारा 19, 24 या 27ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए जमानत देने की सीमाएं हैं:

(i) लोक अभियोजक को जमानत के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; और

(ii) 'यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार' मौजूद होना चाहिए कि (ए) व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है; और (बी) जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

19. जमानत देने के लिए निर्धारित मानक 'विश्वास करने का उचित आधार' है कि व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है। 'विश्वास करने के उचित आधार' के मानक की व्याख्या करते हुए, शिव शंकर केसरी (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय की दो–न्यायाधीश पीठ ने कहा कि:

"7. धारा 37(1)(बी)(ii) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उचित आधार" है। इस अभिव्यक्ति का अर्थ प्रथम दृष्टया आधार से कहीं अधिक है। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों को दर्शाता है कि अभियुक्त आरोपित अपराध के लिए दोषी नहीं है और यह उचित विश्वास ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की ओर इशारा करता है जो इस विश्वास को उचित ठहराने के लिए अपने आप में पर्याप्त हैं कि अभियुक्त आरोपित अपराध के लिए दोषी नहीं है।

8. कानून में "उचित" शब्द का अर्थ उन परिस्थितियों के संबंध में उचित का प्रथम दृष्टया अर्थ है जिनके बारे में अभिनेता, जिसे उचित रूप से कार्य करने के लिए कहा जाता है, जानता है या जानना चाहिए। "उचित" शब्द की सटीक परिभाषा देना कठिन है।"

"7. ... स्ट्राउड्स ज्यूडिशियल डिक्शनरी में, चौथा संस्करण, पृष्ठ। 2258 में कहा गया है कि 'उचित' शब्द की सटीक परिभाषा की अपेक्षा करना अनुचित होगा। व्यक्ति के स्वभाव और उस समय और परिस्थितियों के अनुसार जिसमें वह सोचता है, तर्क अपने निष्कर्षों में भिन्न–भिन्न होता है। जिस तर्क ने पुराने शैक्षिक तर्क का निर्माण किया वह अब एक बच्चे के खिलौने की झंकार जैसा लगता है।"

(देखें दिल्ली नगर निगम बनाम जगन नाथ अशोक कुमार [(1987) 4 एससीसी 497] (एससीसी पृष्ठ 504, पैरा 7) और गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम यूनिक इरेक्टर्स (गुजरात) (पी) लिमिटेड [(1989) 1 एससीसी 532]

[...]

10. "उचित" शब्द का अर्थ "तर्क के अनुरूप" है। अंतिम विश्लेषण में यह तथ्य का प्रश्न है कि कोई विशेष कार्य उचित है या नहीं, यह किसी प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। (ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम कमला मिल्स लिमिटेड देखें। [(2003) 6 एससीसी 315]

11. अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को दोषी नहीं होने का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए नहीं कहा जाता है। यह सीमित उद्देश्य के लिए है जो अनिवार्य रूप से आरोपी को जमानत पर रिहा करने के सवाल तक ही सीमित है, न्यायालय को यह देखने के लिए कहा जाता है कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और ऐसे आधारों के अस्तित्व के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करता है। लेकिन न्यायालय को इस मामले पर इस तरह विचार नहीं करना चाहिए जैसे कि वह बरी करने का फैसला सुना रही हो और दोषी न होने का निष्कर्ष दर्ज कर रही हो।"

(**जोर दिया गया**)

20. उपरोक्त उदाहरण के आधार पर, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को जमानत देते समय जो परीक्षण लागू करना आवश्यक है, वह यह है कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है और क्या उसके द्वारा जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध करने की संभावना है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों की गंभीरता को देखते हुए और देश में नशीली दवाओं की तस्करी के खतरे को रोकने के लिए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत देने के लिए कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

21. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने उत्तरवादी को जमानत देते समय दो परिस्थितियों को ध्यान में रखा, अर्थात् (i) उत्तरवादी के कब्जे से प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी का अभाव और (ii) एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज कथन के अनुवाद में गलत नाम का पृष्ठांकन।

22. हम इनमें से प्रत्येक परिस्थिति पर से बारी–बारी से विचार करेंगे। उत्तरवादी पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रतिषेधित होकर एवं उक्त अधिनियम की धारा 21, 27 ए, 29, 60 (3) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है। अधिनियम की धारा 8 किसी व्यक्ति को कोई भी नशीली दवा या मनःप्रभावी पदार्थ रखने से रोकती है। कब्जे की अवधारणा धारा 20 से 22 में दोहराई जाती है, जो अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2003) 7 एससीसी 465 में इस न्यायालय ने माना कि

"19. क्या भानपूर्ण कब्ज़ा था, इसका निर्धारण तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों से जो तथ्य निकाले जा सकते हैं, वे ये हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति एक वाहन में यात्रा कर रहे थे और जैसा कि विचारण न्यायालय ने टिप्पणी किया था कि वे एक–दूसरे को जानते थे और उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया, या यह दर्शाया नहीं गया है कि एक वाहन में जो सार्वजनिक वाहन नहीं था, एक ही गंतव्य से उन्होंने, एक साथ कैसे यात्रा की।

20. धारा 20(बी) प्रतिबंधित वस्तुओं को कब्जे में रखना अपराध बनाती है। धारा 20 अधिनियम के अध्याय IV में आता है जो ऐसी वस्तुओं के कब्जे के लिए अपराधों से संबंधित है। कब्जे को अवैध बनाने के लिए, सचेत एवं भानपूर्ण कब्जा अवश्य होना चाहिए।

21. इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जब तक कब्ज़ा अपेक्षित मानसिक सचेतता एवं भानपूर्ण कब्ज़ा के साथ नहीं जोड़ा जाता है और सचेतन एवं भानपूर्ण प्रकृति के कब्ज़े के बिना केवल आधिपत्य से धारा 20 आकर्षित नहीं होती है।

22. अभिव्यक्ति "कब्जा" एक बहुरूपी शब्द है जो विभिन्न संदर्भों में अलग–अलग अर्थ प्रदान करता है। प्रासंगिक रूप से अलग–अलग पृष्ठभूमि में इसके अलग–अलग अर्थ हो सकते हैं। रिमेंबरेंस ऑफ लीगल अफेयर्स, डब्ल्यूबी बनाम अनिल कुमार भुंजा [(1979) 4 एससीसी 274 : 1979 एससीसी (सीआरआई) 1038: एआईआर 1980 एससी 52] में अवधारित किया गया कि "कब्जे" की पूरी तरह से तार्किक और सटीक परिभाषा, सभी क़ानूनों के संदर्भ में सभी स्थितियों के लिए एक समान, तैयार किया जाना असंभव है ।

23. "चेतन" शब्द का अर्थ किसी विशेष तथ्य के बारे में जागरूकता है। यह मन की एक अवस्था है जो जानबूझकर या इच्छित होती है।

[...]

26. एक बार कब्ज़ा स्थापित हो जाने के बाद, जो व्यक्ति दावा करता है कि यह एक सचेत कब्ज़ा नहीं था, उसे इसे स्थापित करना होगा, क्योंकि उसका कब्ज़ा कैसे हुआ, यह उसके विशेष ज्ञान के भीतर है। अधिनियम की धारा 35 कानून में उपलब्ध उपधारणा के कारण इस स्थिति को वैधानिक मान्यता देती है। धारा 54 के संदर्भ में भी यही स्थिति है जहां अवैध वस्तुओं के कब्जे से भी उपधारणा लगाया जा सकता है।"

धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2010) 9 एससीसी 608 में भी "सचेत कब्जे" पर विचार किया गया था, जहां यह माना गया था कि प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे का ज्ञान किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से प्राप्त किया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन वाहन के मामले में कई लोगों के साथ सचेत कब्जे का मानक अलग होगा, जबकि निजी वाहन में एक–दूसरे को जानने वाले कुछ लोग होंगे। **मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2015) 6 एससीसी 222** में, इस न्यायालय ने यह भी देखा कि "कब्जा" शब्द का अर्थ शत्रुता के साथ भौतिक कब्ज़ा हो सकता है; शत्रुता के साथ निषिद्ध पदार्थों पर हिरासत; छिपाव के परिणामस्वरूप प्रभुत्व और नियंत्रण का प्रयोग; या प्रतिबंधित पदार्थ के अस्तित्व और इस ज्ञान पर आधारित इरादे के बारे में व्यक्तिगत ज्ञान होना।

23. हमने न्यायिक सिद्धांतों को दोहराने के लिए उपरोक्त उदाहरणों का उल्लेख किया है। कार्यवाही के इस चरण में, केवल यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि विचारण उसी न्यायालय में होना है जहां साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

24. उत्तरवादी के कब्जे से प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी नहीं होने के विषय में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि, **भारत संघ बनाम रतन मलिक, (2009) 2 एससीसी 624** वाले मामले में, दो न्यायाधीश की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट कर आरोपी को दी गई जमानत को रद्द दिया था, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि चूंकि प्रतिबंधित सामग्री (हेरोइन) एक ट्रक के केबिन के ऊपर विशेष रूप से बनाये गये स्थान से बरामद किया गया था, इसलिए किसी के 'कब्जे' में कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं पाई गई। इस न्यायालय ने यह पाया कि केवल प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे के आधार पर

निष्कर्ष निकाला जाना अधिनियम की धारा 37(1)(बी) के मापदंडों को पूरा नहीं करता है और इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है।

25. **रतन मल्लिक (सुप्रा)** में निर्धारित इस न्यायालय के पूर्व निर्णय के अनुरूप, हमारा यह विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में उत्तरवादी के आधिपत्य से प्रतिबंधित पदार्थ के जप्ती नहीं होने से प्राप्त निष्कर्ष, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी)(ii) के तहत आवश्यक जांच के स्तर को पूर्ण नहीं करता है।

26. उच्च न्यायालय ने, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत उत्तरवादी के दर्ज कथन के अनुवाद के अनुमोदन में उत्तरवादी के नाम के स्थान पर मोहम्मद आरिफ खान के नाम को शामिल करने पर प्रचुर निर्भरता रखी है। **तोफान सिंह (सुप्रा)** मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत, दर्ज कथन अग्राह्य है। एएसजी ने कहा है कि, उक्त बयान से अलग, प्रकरण के इस स्तर पर अभिलेख में आई सामग्री के आधार पर जमानत से इनकार किये जाने के वैध कारण हैं।

27. उत्तरवादी के अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय और इस न्यायालय दोनों के समक्ष एक अन्य निवेदन किया गया है कि, प्रकरण में एनडीपीएस अधिनियम, की धारा 42 के प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिये उत्तरवादी जमानत का अधिकारी है। अधिनियम की धारा 42 के अनुसार किसी अधिकारी को अपराध की सूचना प्राप्त होने पर उक्त सूचना लिखित में दर्ज करेगा और सूचना की प्रति अपने वरिष्ठ अधिकारी को 72 घण्टे के भीतर प्रेषित करेगा। उत्तरवादी की ओर से यह तर्क किया गया है कि, यद्यपि सूचना जोनल निदेशक द्वारा प्राप्त की गई थी, परंतु उक्त सूचना एक ऐसे अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दी गई थी जो सूचना प्राप्त होने के उपरांत गठित टीम का हिस्सा था, इसके बाद लिखित सूचना जोनल डायरेक्टर को भेज दी गई। इस न्यायालय ने **करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 8 एससीसी 539** में कहा कि यद्यपि साधारणतः सूचना की प्राप्ति पर अधिकारी के द्वारा उसे तलाशी और जब्ती से पहले लिखना चाहिए, असाधारण परिस्थितियों में जहां तत्काल और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है,वहां विलंब के कारण के साथ जानकारी बाद में भी लिखी जाएगी:

> "35. [...](सी) दूसरे शब्दों में, प्राप्त जानकारी को लिखने और उसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के संबंध में धारा 42(1) और 42(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन, आम तौर पर अधिकारी के द्वारा प्रवेश, तलाशी और जब्ती से पहले होना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में जहां आपातकालीन कार्यवाही की आवश्यकता हो, वहां प्राप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज करना और उसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने की कायर्वाही को, प्रवेश, तलाशी, और जब्ती के बाद तक के लिये, एक उचित अवधि तक स्थगित किया जा सकता है । यहां प्रश्न तात्कालिकता और समीचीनता का है।
>
> (डी) यद्यपि धारा 42 की उपधारा (1) और (2) की आवश्यकताओं का पूर्णतः गैर–अनुपालन, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है,परंतु विलंब के सबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ धारा 42 का विलंबित अनुपालन स्वीकार्य अनुपालन होगा। उदाहरण के लिए, यदि विलंब किये जाने का परिणाम यह हो सकता है कि, आरोपी भाग जाये या सामान या सबूत नष्ट कर दिया जाये या हटा दिया जाये, तब कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले प्राप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज नहीं करना, या ऐसी जानकारी की एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत न भेजना, धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना

जा सकता है। लेकिन यदि सूचना तब प्राप्त हुई जब पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन में है, और कार्यवाही करने के लिए उसके पर्याप्त समय हो, इसके बाद यदि पुलिस अधिकारी प्राप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करने में विफल रहता है, या उसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने में विफल रहता है, तो यह अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण एक संदिग्ध परिस्थिति होगी। इसी प्रकार, जहां पुलिस अधिकारी के द्वारा सूचना कभी दर्ज ही नहीं किया जाता है, और वरिष्ठ अधिकारी को सूचित ही नहीं किया जाता है, तब यह अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। धारा 42 का अनुपालन पर्याप्त है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तय किया जाने वाला तथ्यात्मक प्रश्न है। 2001 के अधिनियम 9 द्वारा धारा 42 में संशोधन के साथ उपरांत उपरोक्त स्थिति मजबूत हो चुकी है ।

28. इसके अलावा, यह भी माना गया है कि, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। इस न्यायालय द्वारा, करनैल सिंह (सुप्रा) के निर्णय को हाल ही में बूटा सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 324 के निर्णय में भी पालन किया गया है।

29. दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को दर्ज की गई परिवाद में यह आरोप लगाया गया है कि 26 मार्च 2019 को लगभग 1400 बजे सूचना मिली कि उसी दिन 1500–1700 बजे के बीच तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। परिवाद में यह भी उल्लेखित है कि सूचना को तुरंत लिखा गया। इसलिए, यह तर्क प्रथम दृष्टया गलत है कि, इस प्रकरण में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन नहीं किया गया है। जबकि यह वह प्रश्न है जिसे विचारण के दौरान उठाया जाना चाहिए।

30. निम्नलिखित परिस्थितियाँ यह आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि क्या उच्च न्यायालय ने धारा 37 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जमानत के लिए आवेदन का सही मूल्यांकन किया है:

(i) उत्तरवादी सह–अभियुक्त के साथ नागालैंड के दीमापुर से, उत्तर प्रदेश के रामपुर तक वाहन में यात्रा कर रहा था;

(ii) परिवाद में यह कहा गया है कि उत्तरवादी द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबर का सीडीआर विश्लेषण यह इंगित करता है कि उत्तरवादी अन्य आरोपीगण, जो उसे जानते थे, के साथ नियमित संपर्क में था ;

(iii) वाहन में पाए गए प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक मात्रा है; और

(iv) प्रतिबंधित पदार्थ उस वाहन में छिपाया गया था जिसमें उत्तरवादी सह–अभियुक्त के साथ यात्रा कर रहा था।

31. उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में, उत्तरवादी की व्यक्तिगत तलाशी में कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिलने के तथ्य के अलावा उपरोक्त परिस्थितियों की अनदेखी की गई है। उच्च न्यायालय ने केवल इस तथ्य पर ध्यान दिया है

"[...]

उपरोक्त तथ्यो के मद्देनजर, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37(1)(बी) में निहित दोनों शर्तें संतुष्ट हैं। और इस न्यायालय का मानना है कि, आवेदक को जमानत पर रिहा होने का हकदार होने के संबंध में पर्याप्त आधार है।

32. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं एवं उन परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दिया है जो जमानत देने का उचित मामला स्थापित किये जाने के लिये महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिये जाने से, उच्च न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं रह जाता है। इसके अलावा, सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि, उत्तरवादी को जमानत मिलने के बाद, वह लगातार लंबित आपराधिक प्रकरण से बचता रहा, जिसके परिणामस्वरूप उसके खिलाफ गैर–जमानती वारंट जारी किया गया है। उच्च न्यायालय के द्वारा अपराध की गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए था, जो वह करने में विफल रहा है।

33. उपरोक्त कारणों से, हम अपील स्वीकार करते हैं और जमानत आवेदन संख्या 7379/2019 में उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को निरस्त करते हैं।

34. उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है । तदनुसार, उत्तरवादी को तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा।

35. लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, निराकृत ।

अंकित ज्ञान अपील स्वीकृत।

---

[1] ["एनडीपीएस अधिनियम"]।

[2] ["एनसीबी"]

[3] ["यूपी–एसटीएफ"]

[4] ["एसएसबी"]

[5] [“सीआरसीएल”]

[6] [“सीडीआर”]

[7] [“सीएएफ”]

[8] ["एएसजी"]

[9] ["आईपीसी"]

न्यायदृष्टांत जिस पर विश्वास किया गया -

[1] प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी, (2010) 14 एससीसी 496

[2] महिपाल बनाम राजेश कुमार @ पोला और अन्य, (2020) 2 एससीसी 118

[3] भारत संघ बनाम शिव शंकर केसरी, (2007) 7 एससीसी 798

[4] मदन लाल और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2003) 7 एससीसी 465

न्यायदृष्टांत जिसे संदर्भित किया गया -

[5] प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2020) 11 एससीसी 648

[6] भारत संघ बनाम प्रतीक शुक्ला, (2021) 5 एससीसी 430

[7] मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य, (2015) 6 एससीसी 222

VIVEK KUMAR VERMA
Digitally signed by VIVEK KUMAR VERMA
Date: 2023.11.09 17:17:04 +0530

(विवेक कुमार वर्मा)

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ०ग०)